

भूमि कायदे अधिनियम 1956

बहुकद में हस्तांतरण

अ. आदेश 20 नियम 6-7 का प्रयोग

महापालिका सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जय कौशिक (आर.ए.एस.)

संख्या :- 388/2014

दिनांक द्वारा 85/53 आर.टी.ए.

- 1 नरेन्द्र कुमार
- 2 राजेन्द्र कुमार
- 3 शारदा
- 4 उर्मिला
- 5 सुनीता

पुत्र/पुत्रिया सहीराम जाति समस्त जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादीगण

- 1 सावित्री पत्नी रामचन्द्र
- 2 सदीप कुमार पुत्र रामचन्द्र
- 3 संजय कुमार पुत्र रामचन्द्र
- 4 सरला देवी पत्नी साहबराम
- नरेश पुत्र साहबराम
- रामेन्द्र पुत्र साहबराम
- सन्दीप सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति कुम्हार
- आई बैंक शाखा संगरिया

जाति जाट

निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री संतोष गोदारा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादी संख्या..... मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

4 एसटीपी के खाता संख्या 131/104 कुल 6.564

राजेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट सा.हरिपुरा की कब्जा काश्त की भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
181/124	51	4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है. गे.मु. खाला कुल 0.253 है. मय गे.मु.

नरेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार, उर्मिला, शारदा, सुनीता पि.सहीराम जाति जाट सा.हरिपुरा की कब्जा काश्त की भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
181/124	51	5/1/0.228 है. 5/2/0.025 है. गे.मु. खाला कुल 0.253 है. मय गे.मु.

रामेन्द्र पुत्र साहबराम 1123/6564 हि, नरेश पुत्र साहबराम 1123/6564 हि, सरलादेवी पत्नी साहबराम 721/6564 हि, संजय पुत्र रामचन्द्र 1170/6564 हि, सदीप कुमार पुत्र रामचन्द्र 1170/6564 हि, सावित्रीदेवी पत्नी रामचन्द्र 751/6564 हि, जाति जाट सा.हरिपुरा की कब्जा काश्त की भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
180/123	33	13/0.240 है. 15/1/0.163 है. 15/2/0.013 गे.मु. रास्ता 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. गे.मु. रास्ता, 17,24/0.253 है. प्र. 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है. गे.मु. रास्ता
181/123	32	16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. गे.मु. खाला, 17 ता 19/0.253 है. प्र. 22 ता 24/0.253 है. प्र. 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है. गे.मु. रास्ता.
182/123	31	16/0.063 है. 17/0.089 है. 18/0.139 है. 19/0.190 है. 20/0.228 है. 21 ता 25/0.253 है. प्र.
182/124	52	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. गे.मु. खाला, 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है. गे.मु. खाला, 3/3/0.114 है. 3/4/0.012 है. गे.मु. खाला कुल 6.058 है. नहरी मय गे.मु.


महापालिका सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की संगरिया के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1510 दिनांक 13.11.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम नो. के अनुसार आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नो. यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नो. मुल्लिक........बाबत........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक........को अदा करे।

बसबत मेरे दरतखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.5.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।


(जय कौरिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपसंग्रह अधिकारी
संगरिया